



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24312

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 4336/2026

रणजीत साहनी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार मौर्य

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी गई और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर कर प्रार्थना की है कि प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, तहसील खोराबार, जिला गोरखपुर को वाद संख्या 21754/2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202505310321754) (रणजीत साहनी बनाम मंजू देवी) का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया जाए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें यह अनिवार्य है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निपटारा करना होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में यह प्रावधान है कि...

"(7). तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर उत्परिवर्तन के निर्विवाद मामले का निर्णय करने का प्रयास करेगा और उत्परिवर्तन के विवादित मामले का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर करेगा और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, तहसील खोराबार, जिला गोरखपुर को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त आवेदन पर विचार करें और विधि के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, तथा अनावश्यक स्थगन दिए बिना, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, उसका निपटारा करें।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिवादी दलीलों की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

4 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"